न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केशोरायपाटन जिला बून्दी (राज0)

पीठीसीन अधिकारी :— दुर्गाशंकर मीना (RAS)

वाद पत्र संख्या :— 139/2019

1. लाकेन्द्र दीक्षित आत्मज विनोद कुमार जाति ब्राह्मण निवासी कोडीजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—वादी

बनाम

1. बंशीलाल आ0 रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी कोडीजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
2. दिनेश कुमार आ0 बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोडीजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
3. श्यामसुन्दर शर्मा आ0 बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोडीजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0
4. बैंक ऑफ बडौदा शाखा के0 पाटन जिला बून्दी राज0
5. राजस्थान राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार के0 पाटन जिला बून्दी राज0

—प्रतिवादीगण

वादः— अधिकार घोषणा बंटवारा भूमि एवं स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88,89,53,188 राज0 टि0 एक्ट

उपस्थिति :—

1— वादी की और से श्री प्रेमशंकर दीक्षित एडवोकेट

2— प्रतिवादी की और से श्री मनीष अग्रवाल एडवोकेट

—::निर्णय::—

दिनांकः 23.10.2019

1— वादी के द्वारा दिनांक 11.09.2019 को वाद अधिकार घोषणा व बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया गया।

2— वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खाता संख्या नई 102 पुरानी 102 की खसरा संख्या 199 रकबा 0.06 है0, ख.सं. 689 रकबा 0.79 है0, ख.सं. 690 रकबा 3.00 है0, ख.सं. 714 रकबा 1.28 है0, ख.सं. 731 रकबा 0.07 है0 कुल किता 5 कुल रकबा 5.20 है0

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

के ग्राम कोडिजा एवं खाता संख्या नई 101 पुरानी 234 की खसरा संख्या 437 रकबा 0.60 है0, खसरा संख्या 864 रकबा 1.10 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.70 है0 वाके ग्राम कोडिजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 मे विरिथत है जो वर्तमान के राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी सं. 1 के खाते में दर्ज है। उक्त वर्णित कृषि भूमियॉ पैतृक रही है जो प्रतिवादी सं. 1 को अपने पिता रामनाथ जी से विरासतन प्राप्त हुई है। वादी के पिता का देहांत हो गया है। उक्त वर्णित भूमि पैतृक कृषि भूमि रही है जिस पर वादी के पिता का जन्म से ही अधिकार था तथा वादी के पिता की मृत्यु के बाद वादी का उक्त भूमि पर जन्म से हक व अधिकार है। उक्त वर्णित आराजी में वादी का 1/4 हिस्सा निहीत है जिस पर वादी काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रतिवादी सं. 1 का राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज होने के कारण भूमि को खुर्द–बुर्द करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार प्राप्त नही है।

3– वादी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी गण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 ने वादी के वाद पत्र का इकबालिया जवाब पेश किया तथा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 की ओर से दिनांक 30.09.19 को राजीनामा पेश किया गया।

4– बहस उभयपक्ष सुनी गई। उभयपक्षों के द्वारा प्रस्तुत राजीनामा दिनांक 30.09.2019 को बाद जॉच तस्दीक किया गया। राजीनामा तथा इकबालिया जवाब के आधार पर वादी का वाद पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है।

—::निर्णय::—

परिणामस्वरूप वादी का वाद पत्र राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाता है। खाता सं. 102 के खसरा संख्या 690 रकबा 3.00 है0 में से 1.89 है0 वाके ग्राम कोडिजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 वादी लोकेन्द्र आत्मज विनोद कुमार जाति ब्राह्मण निवासी कोडिजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी के हिस्स मे रहेगी। खाता सं. 102 के खसरा संख्या 199 रकबा 0.06 है0 सम्पूर्ण, ख.सं. 731 रकबा 0.07 है0 सम्पूर्ण, खाता सं. 101 की ख. सं. 437 रकबा 0.60 है0 सम्पूर्ण कुल किता 3 कुल रकबा 0.73 है0 वाके ग्राम कोडिजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी सं. 1 बंशीलाल आत्मज रामनाथ जाति ब्राह्मण निवासी कोडिजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी के हिस्स मे रहेगी। खाता सं. 102 के खसरा संख्या 189 रकबा 0.79 है0 सम्पूर्ण, ख.सं. 690 रकबा 3.00 है0 में से 1.11 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम कोडिजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी सं. 2 दिनेश कुमार आत्मज बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोडिजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी के हिस्स मे रहेगी। खाता सं. 102 के खसरा संख्या 714 रकबा 1.28 है0 सम्पूर्ण, खाता सं. 101 की ख.सं. 864 रकबा 1.10 है0 सम्पूर्ण कुल किता 2 कुल रकबा 2.38 है0 वाके ग्राम कोडिजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी राज0 प्रतिवादी सं. 3 श्यामसुन्दर आत्मज बंशीलाल जाति ब्राह्मण निवासी कोडिजा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी के हिस्स मे रहेगी तथा कृषि भूमि पर रहन बदस्तुर रहेगा। तहसीलदार केशवरायपाटन जिला बून्दी राज0 को आदेशित

उपखण्ड अधिकारी
के. पाटन (बून्दी)

Scanned by CamScanner

...या जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद करे। उक्तानुसार डिक्री पर्चा ...री हो ।

निर्णय आज दिनांक 23.10.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी * * के० पाटन

23/10/19

(दुर्गाशंकर मीना)
उपखण्ड अधिकारी
केशवरायपाटन

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Durga Shankar Mina
Date: 2019.11.18 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested
Location: